

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम





बनाम .....

किस्म मुकदमा :-

मिसल नं०

/

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
24/3/22	अधिवक्तागण उपरो पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक 5/5/22 को पेश है।  राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	
5/5/22	अधिवक्तागण उपरो पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/6/22 को पेश है।  राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	376 11/5/22
9/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्यस्थगन पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/7/22 को पेश है।  (मनीष कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	1/11/22 621 21/6/22
7/7/22	वकील उमयानन्द उपरीचर। अपील के हिसाब से अपील शायराना भू शायरान अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा भी पेश की है। राज्य सरकार के अधिसूचनांक: 1(17)शायरान-8/2019/112 दिनांक 17/10/19 के हिसाब से शायरान अधिनियम 1956 से सम्बंधित सम्बंध अपीलों का क्षेत्राधिकार शायरान अपील प्राधिकारी को आन्वेषिक न्यायालय संसदीय प्राधिकार को सौंपा जा रहा है। उक्त अपील को सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा भी नहीं है। अतः भूत ही अपील संसदीय न्यायालय में पेश करने हेतु छोड़ दी जाती है। पत्रावली काट दिया जा रहा है वफर से व नम्बर को प्रकृत है।  (मनीष कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	